भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1442

उत्तर देने की तारीख: 28.07.2026

अनुसूचित जाति कल्याण योजना

1442. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति कल्याण योजना के लिए निर्धारित 2,345 करोड़ रुपये के समर्पण (सरेंडर) के संबंध में संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई टिप्पणियों से अवगत है और यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान आवंटित, जारी की गई, उपयोग की गई और समर्पित (सरेंडर) की गई धनराशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) छात्रवृत्ति, आजीविका सहायता और विकास कार्यक्रमों की निरंतर मांग के बावजूद धनराशि के कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रकार के कम उपयोग के लिए कोई जवाबदेही तंत्र तय किया गया है; और

(ड.) यदि हां, तो अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं की राशि का समय पर उपयोग और प्रभावी प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने संसदीय स्थायी समिति की 17वीं रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों (जिसमें निधि का सरेंडर करना भी शामिल है) पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) सौंप दी है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि, किए गए व्यय और सरेंडर की गई धनराशि का योजना-वार विवरण **संलग्नक** में दिया गया है।

(ग) से (ड.): अनुसूचित जातियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन तथा उसके तहत निधि का उपयोग करने का काम संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। निधि जारी करना कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त करना,

उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करना, एसएनए स्पर्श, जहां लागू हो, पर ऑन-बोर्डिंग, और योजनाओं के दिशा-निर्देशों तथा व्यय विभाग के मानकों का पालन करना।

योजना के अंतर्गत व्यय बढ़ाने के लिए, समय-समय पर आंतरिक समीक्षा के साथ-साथ अन्य पक्ष मूल्यांकन और सोशल ऑडिट वगैरह भी किए जा रहे हैं। सरलता और शीघ्रता से भुगतान करने और लाभार्थियों तक सही ढंग से लाभ पहुंचाने के लिए, छात्रवृत्ति योजना के तहत भुगतान मुख्य रूप से डीबीटी मोड द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देना, सोशल मीडिया पर अभियान चलाना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविरों, क्षेत्रीय बैठकों और हितधारकों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से इन योजनाओं की नियमित रूप से निगरानी करता है। विभाग नियमित समीक्षाओं के माध्यम से मासिक और तिमाही व्यय के लक्ष्यों की प्राप्ति की भी निगरानी करता है। इन प्रयासों का उद्देश्य समय पर निधि जारी करना और आवंटित निधि के बेहतर उपोयग को सुनिश्चित करना है।

संलग्नक

अनुसूचित जाति कल्याण योजना के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1442 के उत्तर के भाग (ख) के संबंध में संलग्नक

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि, किए गए व्यय और सरेंडर की गई धनराशि का योजना-वार विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24

(रुपये करोड़ में)

		2021-22				2022-23				2023-24			
क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाएं	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	किया गया व्यय	सरेंडर की गई धनराशि	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	किया गया व्यय	सरेंडर की गई धनराशि	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	किया गया व्यय	सरेंडर की गई धनराशि
1	एससी के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति-	3415.62	4196.59	1978.56	1437.06	5660.00	5660.00	4392.50	1267.50	6359.14	5400.00	5476.22	882.92
2	एससी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	300	125	122.44	177.56	173.00	159.00	114.25	58.75	163.00	188.00	183.14	लागू नहीं
3	एससी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	30.00	35.00	49.07	लागू नहीं	36.00	50.00	75.44	लागू नहीं	50.00	85.00	88.57	लागू नहीं
4	एससी के लिए टॉप क्लास शिक्षा	70.00	70.00	84.72	लागू नहीं	108.00	108.00	85.67	22.33	111.00	100.00	83.84	27.16
5	एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग	50.00	30.00	14.98	35.02	47.00	27.00	18.41	28.59	47.00	14.82	7.76	39.24
6	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	1800.00	1800.00	1820.32	लागू नहीं	1950.00	1062.39	164.00	1786.00	2050.00	450.00	471.12	1578.88
7	अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना						950.00	236.99	लागू नहीं				
8	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए मशीनरी को मजबूत करना	600.00	600.00	610.11	लागू नहीं	600.00	500.00	390.85	209.15	500.00	500.00	535.18	लागू नहीं
9	एससी के लिए लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)	200.00	63.21	38.04	161.96	89.00	89.00	51.01	37.99	104.65	90.00	81.59	23.06
10	एससी और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक	725.00	725.00	570.39	154.61	500.00	500.00	208.62	291.38	500.00	430.00	446.64	53.36
11	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता	25.00	0.01	0.00	25.00	0.01	0.00	0.00	0.01				
12	हाथ से मैला उठाने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना	100.00	43.31	39.00	61.00	70.00	70.00	11.10	58.90	97.41	30.06	30.06	67.35
13	विश्वास योजना (एससी)	100.00	10.00	0.00	100.00	50.00	0.01	0.00	50.00	0.01	0.01	0.00	0.01
14	एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड	100.00	70.00	70.00	30.00	70.00	70.00	35.00	35.00	70.00	22.00	22.00	48.00
15	प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही	60.00	38.94	33.21	26.79	40.00	40.00	8.90	31.10	43.73	60.00	32.74	10.99
	कुल	7575.62	7807.06	5430.84	2144.78	9393.01	9285.40	5555.75	3837.26	10095.94	7369.89	7458.85	2637.09

वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26

(रुपये करोड़ में)

		2024-25				2025-26			
क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाएं	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	किया गया व्यय	सरेंडर की गई धनराशि	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	किया गया व्यय	सरेंडर की गई धनराशि
1	एससी के लिए पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति-	6359.98	5500.00	5581.52	778.46	6360.00	6000.00	6208.88	151.12
2	एससी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	188.00	212.00	209.50	लागू नहीं	212.00	220.00	213.45	लागू नहीं
3	एससी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	95.00	95.00	74.18	20.82	130.00	110.00	54.89	75.11
4	एससी के लिए टॉप क्लास शिक्षा	110.00	103.00	103.26	6.74	110.00	112.00	117.20	लागू नहीं
5	एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग	35.00	18.00	17.68	17.32	20.00	7.00	9.87	10.13
6	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	2140.00	800.00	736.28	1403.72	2140.00	1250.00	686.52	1453.48
7	अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना								0.00
8	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए मशीनरी को मजबूत करना	550.00	500.00	495.19	54.81	463.00	468.00	514.98	लागू नहीं
9	एससी के लिए लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)	133.07	110.00	109.78	23.29	140.00	140.00	127.93	12.07
10	एससी और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक	500.00	450.00	461.66	38.34	577.96	577.96	562.74	15.22
11	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम				0.00				0.00
12	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की मुक्ति और पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना	116.94	50.00	35.64	81.30	130.00	100.00	96.25	33.75
13	विश्वास योजना (एससी)	6.01	11.49	11.49	लागू नहीं	24.57	24.57	24.32	0.25
14	एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड	10.00	0.01	0.00	10.00	0.01	0.01	0.00	0.01
15	प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही	65.00	40.00	36.32	28.68	70.00	10.00	31.22	38.78
	कुल	10309.00	7889.50	7872.49	2436.51	10377.54	9019.54	8648.24	1729.30
